लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

/150/11

तारीख रजू ....

मीना कुमारी बमैरा .... बनाम .... भुजमल बमैरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान श्तकारी अधिनियम वादी की ओर से श्री मानसिंह चौधरी वकील ने न किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तेवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक .06.2011 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब मारफत सूचना खण्डित। पत्रावली दिनांक 11/10/11 को पेश हो। पेशकार	
बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 16/11/11 को पेश हो। पेशकार	
पत्रावली प्रस्तुत, वकील वादी उप० प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री राधावल्लभ शर्मा ए० ने जवाब दावा पेश किया शेष प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.11.11 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
-11-11 आज यह पत्रावली पेश हुई आज वाद ... अतः स्थगित कि... पत्रावली दिनांक 19/12/11 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर)	
19.12.2011 बकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब ... पर ... है। पत्रावली दिनांक 30.01.2012 को पेश हो। पेशकार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.05.16 17:43:16 IST
Reason: SelfAttested

साबिक आदेश दिनांक........8/1/18........
की पालना में पत्र की बाबत...2021 198 ....
दिनांक...11/5/23.......को पेश हो

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

11/7/23	वकुलाम उपर प्रा० खाता 07 R11 ... प्रस्तुत किया गया ... वास्ते आदेश 17/7/23 को पेश की [signature]
17/7/23	वकुलाम उपर अतः प्रार्थी ... पालना पत्र 07 R11 ... साबित होने से स्वीकार ... पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रा० खाता ... साबित होने से स्वीकार कर ... स्टेज पर खारिज ... जाता है निर्णय ... किया गया पत्रावली फैसल ... होकर ... में ... बाद तकमील ... [illegible]

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी– लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

प्रकरण संख्या 1/150/2011

मीरा कुमारी वगैरा बनाम भुजमल वगैरा

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

उपस्थित–

श्री तेजसिंह राठी एडवोकेट–अधिवक्ता वादीगण

श्री धनश्याम शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1–2

आदेश दिनांक 17-07-23

प्रतिवादी सं0 2 शिवप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादी सं0 4 सरपंच ग्राम पंचायत रेटा के विरूद्व दावा पेश किया है कानूनन पंचायत राज्य के कर्मचारी के प्रतिनिधि के विरूद्व दावा दायरी से पूर्व धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत मियादी 2 माह का नोटिस दिया जाना जरूरी है लेकिन वादीगण ने विना नोटिस दिये ही प्रतिवादी संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत रेटा के विरूद्व दावा पेश किया है जिस कारण वादीगण का दावा विना नोटिस प्रेषित किये ही पेश करने के दावा अदालत श्रीमान में मेण्टनेविल ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है जो इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व ही रिलीफ चाही है। ग्राम पंचायत के विरूद्व वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहा है। ग्राम पंचायत रेटा दावा में फोरमल पार्टी है जिस कारण धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम प[illegible] नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। जिस कारण वाद वादीगण घोषणात्मक चल[illegible] है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादीगण ने ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया है कानूनन दावा पेश करने से पूर्व वादीगण को धारा 109 पंचायत राज अधिनियम का नोटिस देना जरूरी था जो वादीगण द्वारा नहीं दिया गया है इस वजह से वाद वादीगण कानून से बाधित होने से वाद वादीगण खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अधिवक्ता वादीगण के कथनों का वहस करते हुये अपनी वहस में कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व ही अनुतोष चाहा है ग्राम पंचायत फोरमल पार्टी है इस वजह से ग्राम पंचायत को धारा 109 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र वादीगण के जवाव प्रार्थना पत्र व पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया।

आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र निम्न तीन विन्दुओं पर पर तय किया जावेगा।

1. जहां वाद–हेतुक **(Cause of Action)** प्रकट नहीं करता हो।
2. जहां वाद उचित कोर्ट फीस **(Court Fee)** प्रकट नहीं करता हो।
3. जहां वाद विधि से बर्जित हो।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थना में पक्षकारान के मध्य वाद हेतुक व कोर्ट फीस के विन्दु पर कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादीगण ने ग्राम पंचायत को दावा हाजा में प्रतिवादी सं0 4 अंकित किया है कानूनन वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व ग्राम पंचायत को धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत 2 माह का कानूनी नोटिस देना चाहिए था। मियाद गुजरने के वाद दावा पेश करना चाहिए था इस वजह से वाद वादीगण विधि से बर्जित है। विद्वान अधिवक्ता का कथन कि ग्राम पंचायत फोरमल पार्टी है जिसे धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत कानूनी नोटिस देना जरूरी है। हमने वाद पत्र के टाइटल का अवलोकन किया जिसमें वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत को असल प्रतिवादीगण के रूप में प्रतिवादी सं0 4 अंकित किया हुआ है जवकि अन्य सहखातेदारान को तरतीवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रतिवादीगण (फोरमल पक्षकार) दर्ज किया है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि ग्राम पंचायत दावा हाजा में फोरमल पार्टी हो। अधिवक्ता प्रतिवादी ने इस तथ्य की पुष्टि में कानूनी नजीर पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 पेश की जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायती राज संस्था के विरूद्व या उसके किसी भी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्व या किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी भी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरूद्व उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन कोई वाद पेश करने से पूर्व दो माह का लिखित नोटिस दिया जाना अनिवार्य (Mandatory) है और नोटिस अवधि समाप्त होने के वाद ही वाद पेश किया जावेगा तथा कानूनी नजीर आर एल डब्ल्यू 1998 (1) पेज 555 मेवाराम बनाम राजस्थान सरकार में भी स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम पंचायत के विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व2 माह के नोटिस दिये जाने की पालना किया जाना आवश्यक (Necessary) है। जवकि वादीगण ने दावा के जिमन नं0 7 में यह साफ अंकित किया है कि "तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार है जो दावा हाजा की तकमील में आवश्यक पक्षकार होने के कारण तरतीवी प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाये है जिनके खिलाफ वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते।" इससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत रेटा से वादीगण रिलीफ चाहते है इस वजह से ग्राम पंचायत को असल प्रतिवादी अंकित किया है। पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत के विरूद्व दावा पेश करने से पूर्व धारा 109 पंचायत राज अधिनियम की कानूनी पालना नहीं की गयी है इस वजह से वाद वादीगण विधि से वर्जित है। अतः प्रतिवादी सं0 2 शिवप्रकाश का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण वाद संख्या 1/150/2011 खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 17-07-23 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukna Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:16 IST
Reason: SelfAttested

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)